न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-180RAAJodhpur2024-106RTA225 Shankarlal Vs State of Rajasthan

शंकरलाल पुत्र किशनाराम जाति माली, निवासी- ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. *सरकार जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।*

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय दिनांक 12 सितंबर 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 84/2022 राजस्थान सरकार बनाम शंकरलाल

उपस्थित-
श्री अक्षय दवे, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 01 मई 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 84/2022 राजस्थान सरकार बनाम शंकरलाल में पारित निर्णय दिनांक 12 सितंबर 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 10 जून 2024 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम सालवास की सरहद पर स्थित खसरा नं. 220 कुल रकबा 1.6106 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय में अपीलांट का 1/5 हिस्सा दर्ज है। अपीलांट द्वारा भूमि को बिना संपरिवर्तन करवाये व्यवसायिक प्रयोजनार्थ अर्थात टेक्सटाईल ईकाई लगाकर गैर कृषि उपयोग किया जा रहा है, जो खातेदारी शर्तो का उल्लंघन है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 12 सितंबर 2023 को अपीलाधीन निर्णय के जरिये स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों से यह सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी एवं अन्य खातेदारान् की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियां है, जिनका आज दिनांक तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। विधिनुसार संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियों में प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर संयुक्त रूप से हक, अधिकार एवम् कब्जा-काश्त होना उपधारित किया जाता है, किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड के विरूद्ध जाते हुए वादग्रस्त जायदाद में अपीलार्थी का पृथक से हिस्सा उपधारित करने में गंभीर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी कारित की है। समस्त खातेदारान संयुक्त रूप से काबिज है। अपीलार्थी अपने हिस्से की भूमि पर आज दिन तक निरंतर बहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है तथा काश्त करता आ रहा है। अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि का कभी भी अकृषि उपयोग नहीं किया है। अपीलार्थी एवं अन्य खातेदारान् वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य करते आ रहे है। चुंकि खसरा नम्बर 220 एवम् 221 अपीलार्थी एवं दिगर खातेरान की संयुक्त रेकर्डेड खातेदारी की कृषि भूमि है, जिसका आज दिन तक कभी भी विभाजन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के समस्त खातेदारान भी आवश्यक पक्षकार रह जाते है, जिन्हे पक्षकार के रूप में संयोजित किये बिना ही आलौच्य आदेश

पारित कर दिया है जो विधिनुसार पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है। प्रत्यर्थी एवं हल्का पटवारी द्वारा वादग्रस्त भूमि की न तो विधिवत रूप से जांच की गई है एवम् न ही ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिससे यह सिद्ध हो कि अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि का अकृषि उपयोग किया जा रहा हो। ऐसी स्थिति में आलौच्य आदेश विधि अनुरूप पारित नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रियात्मक त्रुटी कारित करते हुए आलौच्य आदेश पारित किया है। विधिनुसार अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व था कि वह अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करे, किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की सुनवाई हेतु नोटिस तक जारी नहीं किये एवम् आलौच्य आदेश पारित कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना आलौच्य आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध जाते हुए पारित कर अपीलार्थी को उसके साम्पतिक अधिकारों से महरूम कर दिया है, जिस कारण आलौच्य आदेश विधिनुसार पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है। वकील अपीलांट ने अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब की गई रिपोर्ट के अनुसार भी किसी प्रकार का कोई टेक्सटाईल्स सम्बधित गतिविधियां मौके पर संचालित होना नहीं पायी गई। वादग्रस्त स्थल पर पानी की होदी तथा ट्यूबवेल का होना पाया जाना कतई अकृषि उपयोग होना निर्णित नहीं किया जा सकता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी एवं दीगर खातेदारान की संयुक्त खातेदारी की वादग्रस्त खसरा नम्बर 220 भूमि के साथ ही खसरा नम्बर 221 की भूमि भी है, जो भूमि सिंचित भूमि है। पूर्व से निर्मित कुंए में पानी की उपलब्धता पर्याप्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी द्वारा स्वयं के कृषि कार्य हेतु वादग्रस्त खसरान की भूमि में ट्यूबवेल भी खुदवाया गया है, जिससे सिंचाई कर अपीलार्थी उक्त दोनो ही खसरान् की भूमि पर गेंहू की पैदावार प्राप्त करता आ रहा है। ऐसी

स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना अपूर्ण रिपोर्ट के आधार पर पारित आलौच्य आदेश निरस्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना आलौच्य आदेश पारित किया गया है, जिसकी अपीलार्थी को पूर्व में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। ` तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित नोटिस जिसमें प्रेषण की दिनांक 16.05.2023 अंकित है, दिनांक 22.05.2024 को अपीलार्थी को प्राप्त होने पर अपीलार्थी द्वारा अविलम्ब अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से संपर्क किया गया। जिस पर अपीलार्थी को दिनांक 22.05.2024 को आलौच्य आदेश की विधिवत जानकारी हुई है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील जानकारी के आधार पर अन्दर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय पारित निर्णय दिनांक 12 सितंबर 2023 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावे।

जबाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया अपीलांट द्वारा बिना किसी समक्ष स्वीकृति के कृषि भूमि पर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ कार्य किया जा रहा है, जिससे राज्य पक्ष को राजस्व हानि हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध मौका फर्द के आधार विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के

अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण संस्थित किये जाने के बाद अपीलांट को सूचना हेतु किसी प्रकार का नोटिस जारी कर उसे सूचित किये बिना अपीलाधीन आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति में उसे बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित किया जाना पाया जाता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 की उपधारा 4 में प्रावधान है कि ''**नोटिस में विनिर्दिष्ट समय में उपस्थित होने और बेदखली के दायित्व का प्रतिवाद करने पर, उचित न्यायालय-फीस संदाय करने पर न्यायालय आवेदन को वाद-पत्र मानेगा और मामले में वाद की तरह कार्यवाही करेगा।**'' अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मन की सम्यक तामील करवाये बिना, उसे जवाब प्रस्तुति के बाद धारा 177 के प्रावधानों के तहत हस्तगत मामले में वाद-विचारण की प्रक्रिया की तरह प्रार्थना पत्र एवं जवाब के आधार पर तनकीयात कायम किये बिना, अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर दिये बिना तहसीलदार लूणी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 10.08.2022 के आधा पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना पाया जाता है।

मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन है कि वक्त निरीक्षण मौके पर टेक्सटाईल संबंधि गतिविधियॉ बंद पाई गई। जिससे प्रथमदृष्टया साबित है कि वादग्रस्त आराजी का वर्तमान में अकृषि उपयोग नहीं हो रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 12 सितंबर 2023 को राजकीय पैरोकार की बहस सुनकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अपीलाधीन निर्णय विधिक प्रक्रिया की पालना किये बगैर पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय मे समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर आंशिक रूप से स्वीकार की

जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12 सितंबर 2023 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की की पालना करते हुए उभय पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर